

पत्रावली संख्या 164/2019 सरकार बनाम सत्यनारायण श. डुंगर शर्मा

| आज्ञा का दिनांक | आज्ञा या कार्यवाही   | पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया |
|-----------------|--|--|
| 17-9-19         | <p>आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री सत्यनारायण श. डुंगर शर्मा पुत्र श्री खरीफ निवासी P.S.V.R. ने फसल रबी/खरीफ सम्वत् / सन् 2018 में गांव/चक 29.11.18 सिंचित / असिंचित कुल 2.847 हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित/अनुपस्थित उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी राशि रु0.11.29 अखरे रुपये का हारा फर्का उपरोक्त मात्र अधिरोपित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी.आर.ए को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">I<br/>तहसीलदार (राजस्व)<br/>रायसिंहनगर</p> |  |

